भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4362
19.07.2019 को उत्तर के लिए

प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध

4362. श्री भोला सिंहः
डॉ॰ स्वामी साक्षीजी महाराजः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को खतरनाक प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए निदेश दिए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार इससे अवगत है कि यूएसए और यूरोप से ईंट भट्ठों में जलाने के लिए सस्ते कागज का आयात किया जा रहा है जिससे भूमि और वायु दोनों प्रदूषित हो रहे हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(ङ) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को प्लास्टिक अपशिष्ट को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ओ.ए.सं. 851/2018 में दिनांक 30 अप्रैल 2019 के आदेश द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को प्लास्टिक प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन के मामले में सभी संबंधितों द्वारा इसकी सिफारिशों के पूर्णत: कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा निर्देशित रीति से प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई करने का निदेश दिया है।

(ग) और (घ) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए 27.06.2019 को निदेश जारी किया है कि लुगदी और कागज की वे इकाइयां, जो प्लास्टिक युक्त अपशिष्ट कागज का आयात कर रही हैं, वे प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार करें।

(ड.) केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दर्ज की गई अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात को प्रतिबंधित किया जाए। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने 01 मार्च, 2019 को सा.का.नि. 178 (अ) की अधिसूचना द्वारा खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) संशोधन नियम, 2019 को अधिसूचित किया है; जिसके अनुसार ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट को (बेसल सं. 3010) विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) सहित देश में और निर्यात अभिमुख इकाइयों (ईओयू) द्वारा आयातित करने से प्रतिबंधित किया है। एसईजेड और ईओयू में आयातकों को उनके कारोबार से संबंधित पूर्व वचनबद्धताओं को समय से पूरा

करने और संशोधन के प्रावधानों को अनुपालन करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए उन्हें छः महीनों, अर्थात् 31 अगस्त 2019 तक एक समय-सीमा (विंडो) प्रदान की गई है।

*****